


कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2024/12010 to 12013

दिनांक : 23/12/2024

- प्रतिलिपि निम्न को जरिये ईमेल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. श्रीमती अनुभा सिंह, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
 2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह/मालपुरा
 3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक उक्त को जिला न्यायालय की वेवसाईट पर अपलोड करें।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
टोंक (राज.)



राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 294 /2024 दिनांक: 18.12.2024

श्रीमती अनुभा सिंह (RJ00903), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) को दिनांक 02.01.2025 से 10.01.2025 तक 09 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.12.2024 से 01.01.2025 एवं 11.01.2025 से 12.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/74/2015/ 10478

दिनांक : 18.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 15411 दिनांक 26.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनुभा सिंह (RJ00903), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार

